



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007

अग्रहायण 9, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या 3020/5-9-2007-6(74)-94-टी०सी०

लखनऊ, 30 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

पृ०सं०-673

धुंकि राज्य सरकार ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी अधिसूचना सं० 1795/5-9-2006-6(74)-94-टी०सी०, दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति की थी, जिसमें डॉ० एस०एस० श्रीवास्तव, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुभव एवं गुल्यांकन परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उक्त अध्यक्ष के निवृत्त हो गए हैं।

2-अक्टूबर, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ संशोधित गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 का अधिकरण करके, राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति करते हैं, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- | डा० एल०बी० प्रसाद,
महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें
और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश। | अध्यक्ष |
| 2- | श्रीमती यशोधरा,
कृति रिसोर्स सेन्टर, सी-1485,
इन्दिरा नगर, लखनऊ। | सदस्य |
| 3- | श्री जे०एन० सिन्हा,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन। | सदस्य |

3-उपर्युक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित खण्ड (क) के अधीन राज्यपाल अग्रतर राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अधिकारिता के जिले के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि ऐसे प्राधिकारी पैरा-2 में निर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट जिले के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायता करने के लिए जैसा कि आवश्यक समझा जाए अपना नामनिर्देशिती नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

आज्ञा से,
नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.3020/V-9-2007-6(74)/94-T.C., dated November 30, 2007:

No. 3020/V-9-2007-6(74)-94-T.C.
Dated Lucknow, November 30, 2007

WHEREAS under sub-section (2) of section 17 of the Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) the State Government had appointed the Appropriate Authority for the whole of Uttar Pradesh in Government notification no. 1795/V-9-2005-6(74)-94 T.C., dated December 13, 2006, consisting of Dr. S.S. Srivastava, Director General, Medical Health Services and National Programme, Monitoring and Evaluation, Directorate of Family Welfare, Uttar Pradesh as the Chairperson. Now the said Chairperson has retired.

2-NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 17 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the aforesaid notification dated December 13, 2006, the Governor is pleased to appoint the Appropriate Authority for the whole of Uttar Pradesh, consisting of:-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>1. Dr. L.B. Prasad,
Director General,
Medical Health Services and
National Programme,
Monitoring and Evaluation,
Directorate of Family Welfare,
Uttar Pradesh.</p> | <p><i>Chairperson</i></p> |
| <p>2. Smt. Yashodhara,
Kriti Resource Center,
C-1485, Indira Nagar,
Lucknow.</p> | <p><i>Member</i></p> |
| <p>3. Shri J.N. Sinha,
Special Secretary and Additional Legal
Remembrancer,
Uttar Pradesh Government.</p> | <p><i>Member</i></p> |

3. Under clause (a) read with clause (b) of sub-section (3) of section 17 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to appoint the District Magistrate of every district of the State as the Appropriate Authority for the district of his jurisdiction and to direct that such Authorities shall function under the Administrative Control of the Appropriate Authority referred to in Para 2. The District Magistrate may nominate an executive magistrate of the district as his/her nominee to assist him/her in monitoring the implementation of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques Act, as deemed necessary.

By order
NITA CHOWDHURY,
Framukh Savhiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 2008
श्रावण 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या 1831/5-9-2008-6(74)-94 टी०सी०
लखनऊ, 31 जुलाई, 2008

अधिसूचना

प०आ०-582

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या-57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-3020/5-9-2007-6(74)-94 टी०सी०, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को डा० एल०बी० प्रसाद, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, जो स्थानान्तरित हो गये हैं, के स्थान पर पदेन अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव।

